

SUMMARU TRIAL UNDER SECTION 263 THE CRIMINAL PROCEDURE CODE 1898
IN THE COURT OF A.K. Gupta, JMFC Gohad Dist Bhind (M.P.)

Case No. 156117 Complaint or report madeon

Name and address of the Complainant.....

अन का गुप्ता
मायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग
गोहाद जिला भांड
21/8/17

Name, parentage, caste and address of accused

1 मुन्ताज 510 डाकुल 38 वर्ष R10 चहर
महिला 21/8/17

The offence, complainant of, and date of, its alleged commission

आप पर आरोप है कि दिनांक 9/8/17 मुकाम
गोहाद जिला भांड पर बिना वैध अनुज्ञप्ति के अपने
आधिपत्य में 27 लीटर/पाव/बोटल 2500 शराब विक्रय/परिवहन हेतु रखी।
ऐसा करके आपने आबकारी अधि 1915 की धारा 34-1 (क) के अधीन दण्डनीय
अपराध कारित किया।

क्या आपको उक्त अपराध स्वीकार है या प्रतिरक्षा चाहते हो।

मुन्ताज

The plea of the accused and his examination (if any)

अपराध स्वीकार है। न्यून दण्ड से दण्डित करने का निवेदन है।

अन का गुप्ता
मायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग
गोहाद जिला भांड

अन का गुप्ता
मायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग
गोहाद जिला भांड

// निर्णय //

(आज दिनांक 22/8/17 को घोषित)

01. अभियुक्त के विरुद्ध आबकारी अधि० 1915 की धारा 34-1 (क) के अधीन दण्डनीय अपराध का अभियोग है। संक्षिप्त विचारणीय होने से समरी सीट पर अपराध विवरण पढ़कर सुनाये एवं समझाये जाने पर अभियुक्त ने स्वेच्छापूर्वक जुर्म/अपराध स्वीकार करना व्यक्त किया।

02. संक्षिप्त विचारण किया गया। अतः अभियुक्त की स्वेच्छापूर्वक स्वीकारोक्ति के आधार पर आबकारी अधि० 1915 की धारा 34-1 (क) के तहत आरोपी को दोषी ठहराया जाता है। उसकी पूर्व दोषसिद्धि के संबंध में अभिलेख पर कोई तथ्य मौजूद नहीं है।

03. अभियुक्त को आबकारी अधि० 1915 की धारा 34-1 (क) के तहत न्यायालय उठने तक की अवधि तक की सजा एवं रुपये 1000/- शब्दों में एक हजार ६०० रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न पटाये जाने पर ०7 का साधारण कारावास की सजा भुगतायी जावे।

04. जप्तशुदा सम्पत्ति 27 लीटर/पाव/बोतल 231 शराब मूल्यहीन एवं मानव उपयोग हेतु हानिकारक होने के कारण अपील अवधि पश्चात् नियमानुसार न्यायालय की जावे। अपील में मान० अपील न्यायालय के आदेश का

राज्य सरकार
राज्य सरकार
राज्य सरकार